न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, शिवहर

वाद सं0. 48/2020

सरकार बनाम संजय कुमार गुप्ता, पिता–योगेन्द्र साह, सा०–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर

(बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत)

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

8/10/2020

आदेश

पुलिस अधीक्षक, शिवहर के पत्रांक–1015/अप0शा0(पी0) दिनांक–23.09.2020 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह वाद आरम्भ किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के अपराधकर्मी संजय कुमार गुप्ता, पे0- योगेन्द्र साह, सा0–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर, के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अन्तर्गत कर्रवाई करने की अनुशंसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं, ये भा०द०वि० के अध्याय–16 तथा अध्याय–17 के अंतर्गत आदतन अपराध करता है। यह एक असामाजिक तत्व है, जिसके कारण शिवहर जिला एवं पिपराही थाना क्षेत्र में अशांति व्याप्त रहती है एवं क्षेत्र में इसकी उपस्थिति से आम लोगों के बीच भय व्याप्त है तथा आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। वर्तमान में यह न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। आगामी विधान सभा चुनाव–2020 के मौके पर ये अपने दुष्प्रभाव से विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पिपराही थाना सनहा सं0–394/20, दिनांक–15.09.20 एवं 404/20, दिनांक–15.09.20 अंकित किया गया है।

उपरोक्त अपराधकर्मी का निम्नांकित काण्ड़ों में आरोपित होना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर द्वारा प्रतिवेदित है, जिस पर पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा भी सहमति प्रतिवेदित है।

1. पिपराही थाना कांड सं0–124/19, दिनांक–19.07.2019, धारा–413/414/34 भा0द0वि0
2. पिपराही थाना कांड सं0–123/19, दिनांक–19.07.2019, धारा–379 भा0द0वि
3. पिपराही थाना कांड सं0–121/19, दिनांक–17.07.19, धारा–379 भा0द0वि0 दर्ज है। इसके अलावे कई अन्य कांडो में इसकी संलिप्तता रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उपरोक्त सक्रिय अपराधकर्मी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–2(डी०) में परिभाषित एन्टी सोशल एलिमेन्ट की श्रेणी में प्रतिवेदित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा उपरोक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के साथ सभी संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु कारणपृच्छा की मांग की गई। सूचना के तामिला उपरान्त विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी का कहना है कि–

1. प्रस्तुत वाद में लगाया गया आरोप निराधार एवं असत्य है।
2. प्रार्थी ने किसी भी तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही किसी तरह के अपराध में संलिप्त रहा है।
3. प्रार्थी समाज में न ही किसी को भयभीत किया है और न ही किसी को परेशान किया है।
4. श्रीमान अपने स्तर से उक्त बिन्दुओं की जाँच करा सकते है।
5. बिहार विधान सभा आम चुनाव के दरम्यान प्रार्थी द्वारा किसी भी गड़बड़ी का कोई संभावना नहीं है।

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक, शिवहर के द्वारा बताया गया है कि विपक्षी का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है:–

1. पिपराही थाना कांड सं0–124/19, दिनांक–19.07.2019, धारा–413/414/34 भा0द0वि0
2. पिपराही थाना कांड सं0–123/19, दिनांक–19.07.2019, धारा–379 भा0द0वि
3. पिपराही थाना कांड सं0–121/19, दिनांक–17.07.19, धारा–379 भा0द0वि0 दर्ज है। इसके अलावे कई अन्य कांडो में इसकी संलिप्तता रही है।

अपर लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी के द्वारा किये गये आपराधिक कांडों से स्पष्ट होता है कि ये भा०द०वि० के अध्याय–17 के अन्तर्गत अपराध करते हैं। इनके द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध धारा–3 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, शिवहर की अनुशंसा अपर लोक अभियोजन, शिवहर को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातों के अवलोकन एवं परिशीलन से इस बात से संतुष्ट होता हूँ कि आरोपी **संजय कुमार गुप्ता** बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम–1981 की धारा 2 (डी0) (1) के अनुसार एक असामाजिक तत्व है तथा उनकी गतिविधियों, आचरण एवं स्वतंत्र विचरण से लोक शाति भंग हो सकती है तथा जन साधारण, जन सम्पति को क्षति एवं विधान सभा आम चुनाव–2020 के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते हुए लोक शांति एवं लोक व्यवस्था भंग किया जा सकता है तथा किसी के पक्ष में मतदान करने को लेकर मतदाताओं कों डराया एवं धमकाया जा सकता है। आगामी विधान सभा आम चुनाव–2020 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु इनके विरुद्ध कार्रवाई करना अति आवश्यक है। इनके अपराधिक इतिहास में ऐसे कांड दर्ज है तथा तथ्य उपलब्ध है, जिससे यह विश्वास हो जाता है कि ये पुनः ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान–1861 के अध्याय XVI या अध्याय–XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है, परिणाम स्वरूप इनपर नियंत्रण करना प्रशासन एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतः मैं अवनीश कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, शिवहर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के उपधारा–3(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधकर्मी संजय कुमार गुप्ता, पे0–योगेन्द्र साह, सा0–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर, को शिवहर जिला में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश की तिथि से निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक यानि 03.11.2020 तक के लिए थाना बदर यानि **पिपराही** थाना क्षेत्र छोडने का आदेश देता हूँ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि **पुरनहिया** थाना में आदेश की तिथि से सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाहन् से 12 बजे अपराहन के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। वे लाठी, ब्लेड, चाकू, माचिस आदि या लोहे से निर्मित कोई भी वस्तु जो घातक हथियार की श्रेणी में आते है, अपने साथ नहीं रखेगें। वे अपना आचरण एक आम नागरिक की तरह रखेंगे एवं कोई संदिग्ध/अवैध कार्य नहीं करेंगे।

पुरनहिया थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में **पिपराही** थाना से थाना बदर किये गये संजय कुमार गुप्ता, पे0–योगेन्द्र साह, सा0–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर, के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक शिवहर को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की तीन प्रतियाँ पुलिस अधीक्षक शिवहर को तामिला कराकर वापस करने हेतु भेजी जाए जिसमें से एक प्रति थानाध्यक्ष **पिपराही** एवं एक प्रति तामिला के प्रमाण स्वरुप प्रभावी व्यक्ति संजय कुमार गुप्ता, पे0–योगेन्द्र साह, सा0–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर, के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ अभिप्रमाणित कराकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लौटा दी जाए। इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा सुनिश्चित कराई जाए।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को भी आम जनता में प्रचार–प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु भेजें।

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, शिवहर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर एवं सभी थानाध्यक्ष शिवहर जिला को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।
8/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।

08/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।

ज्ञापांक 624/विधि शिवहर, दिनांक 08/10/20

प्रतिलिपि :– संजय कुमार गुप्ता, पे0–योगेन्द्र साह, सा0–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर, को अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सभी थानाध्यक्ष, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

8/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।